राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव कराया जाना

1503. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री शिव प्रताप मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायती राज प्रणाली शुरू किये जाने के बाद भी अनेक राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के लिये चुनाव नहीं कराये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने उन राज्यों में क्या प्रयास किये हैं जहां पांच वर्ष के बाद चुनाव नहीं हुये हैं ; और

(घ) संबंधित राज्यों से वहां पर छह मास के भीतर चुनाव कराने के लिये क्या बातचीत की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां । यह सच है कि पंचायती राज कानून की मार्फत पंचायती राज प्रणाली शुरु करने के पश्चात भी कई राज्यों में पंचायती राज निकायों के चुनाव नियमित रूप में नहीं कराये गये हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों में पंचायतों के चुनाव पहले ही हो जाने चाहिये थे ।

(ग) और (घ) संविधान 173वां (संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसे 24-4-1993 से लागू किया गया है, के प्रावधानों के अनुसार अब राज्यों को प्रत्येक पांच वर्ष में पंचायतों के चुनाव कराने पड़ेंगे । भारत सरकार ने 3-7-1993 को राज्यों के पंचायत के प्रभारी मंत्रियों तथा सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें राज्यों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि वे अपनी राज्य विधान सभाओं के अगले सत्र के दौरान अपने विद्यमान पंचायत कानूनों में संशोधन करेंगे (अथवा एक नया कानून बनायेंगे) ताकि इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरुप बनाया जा सके । इस बात पर भी सहमति हुई थी कि जिन पंचायतों के चुनाव होने हैं, वहां इन कानूनों संशोधनों के लागू होने के पश्चात छः मास के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिये कदम उठाये जायेंगे ।

गुजरात में ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा

1504. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्ष के दौरान जिलेवार कौन-कौन सी ग्रामीण विकास योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिये पेश की हैं;

(ख) इनमें से किस-किस योजना को आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) गुजरात सरकार ने इन योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आबंटित की है ;

(घ) क्या ये योजनायें ग्रामीण रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने की ओर लक्षित है और क्या इनमें स्व-रोजगार के लिये संसाधन जुटाने हेतु कोई उपबंध है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं,

जिन्हें गुजरात के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, सिर्फ ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को 1 जनवरी, 1990 से लेकर, 15 जुलाई, 1993 के दौरान गुजरात सरकार से कुछ विशिष्ट ग्रामीण विकास योजनाएं प्राप्त हुई हैं। ये योजनायें निम्नलिखित हैं :

वर्ष	नाम	योजनाओं की संख्या	कवर किये गांवों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1991–92	1. धर्मपुर तालुक	49	49	106.71
1992–93	2. द्विपक्षीय सहायता प्राप्त नई क्षेत्रीय परियोजना	4	390	16799.43
	3. काडी क्षेत्रीय योजना	1	118	4268.81
	4. हनुवन्तचन्द क्षेत्रीय जल सप्लाई योजना	1	4	23.06
	5. पदमपुर क्षेत्रीय योजना	1	10	82.73
	6. कुरगम तुंबी	1	6	93.44
1993–94	7. जमानियामल	1	4	68.66
	कुल :	58	581	21442.84

(ख) उपर्युक्त योजनायें आमतौर आम जनता और क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिये हैं। तथापि, क्रम संख्या–1 पर दर्शाई गई योजना आदिवासी क्षेत्रों के लिये हैं।

(ग) योजनाओं पर खर्च की जाने वाली अनुमानित लागत उपर्युक्त (क) में यथा अनुसार 21442.84 लाख रुपये है। निधियों का योजनावार आबंटन नहीं किया जाता है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम मिनी मिशन एवं उप-मिशन के अन्तर्गत निधियां रिलीज की जाती हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त योजनायें ग्रामीण रोजगार और उद्योग उन्मुख नहीं है, हालांकि इन योजनाओं के माध्यम से कुछ ग्रामीण रोजगार मुहैया कराया जाता है।

Estimates regarding surplus land in Gujarat

1505. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have made any estimate of total surplus land in Gujarat;

(b) if so, the district-wise details thereof; and

(c) what steps are being taken to distribute the surplus land among the landless people?